संख्या- 119 /2022/ 512 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2022**

विषय- आजादी अमृत महोत्सव के अन्तर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान का पत्र संख्या-597/कार्यक्रम/2021-22 दिनांक 30 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार आजादी अमृत महोत्सव के अन्तर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रू0 45.00 लाख (रूपये पैतालिस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(3) उक्त धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा आहरित कर अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या द्वारा कार्यक्रम के सत्यापन उपरान्त नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

3- उक्त धनराशि रू0 45.00 लाख (रूपये पैतालिस लाख मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी -चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 119 /2022/ 512 (1)/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।